

रीट/एनए - कंस्ट्रिक्ट 133/22

दिनांक

आज्ञा पत्र

24.11.22

पत्रावली प्रस्तुत वकील अपीलांट/रेस्पोंडेंट्स/उपस्थित पीठासीन आं. अरी महोदय आज... R.D. 11/11/22 पर है। अतः पत्रावली पूर्व आजानुसार दिनांक 13.12.22 को पेश हो।

12.1.23

पत्रावली पेश। प्रकरण में रेस्पोंडेंट की तामील शेष है। इस हेतु अपीलांट शेष रेस्पोंडेंट के रजिस्टर्ड नोटिस आज ही पेश करें। जो पेश होने पर जारी हो। तकि अफेस का शीघ्रातिशीघ्र निस्तारण किया जा सकें पत्रावली बस्ते डलबी रिकार्ड दिनांक 24.1.23 को पेश हों।

24.01.23

पत्रावली पेश। वकील अपीलांट को हिदायत दी जाती है कि आगामी तिथि से पूर्व तामील से शेष रेस्पोंडेंट्स के रजिस्टर्ड नोटिस पेश करें अन्यथा आगामी तिथि पर आदेश 9 नियम 5 सी.पी.सी. के तहत अपील खारिज कर दी जायेगी। तहत का रिकार्ड प्राप्त शामिल पत्रावली रहे / तलब किया जाये। पत्रावली वास्ते तलबी दिनांक 13.2.23 को पेश हों। पत्रावली में पूर्व में यदि स्थगन है तो उसे आगामी तिथि तक बढ़ाया जाता है।

13.2.23

पत्रावली पेश वकील अपीलांट को पूर्व पेशी पर हिदायत दी गई थी कि आगामी तिथि से पूर्व तामील से शेष रेस्पोंडेंट्स के रजिस्टर्ड नोटिस पेश करें अन्यथा आगामी तिथि पर आदेश 9 नियम 5 सी.पी.सी. के तहत अपील खारिज कर दी जाएगी। आज दिनांक तक अपीलांट में रेस्पोंडेंट्स के रजिस्टर्ड नोटिस पेश नहीं किये गये हैं इससे स्पष्ट है कि अपीलांट अपनी अपील के प्रति गम्भीर नहीं है। फलस्वरूप अपील अपीलांट आदेश 9 नियम 5 सी.पी.सी. के तहत खारिज की जाती है। निर्णय तरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तस्तीब तकमील दायित टफर हो।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
घदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प हुन्ना)

